

परियोजना का नाम:-

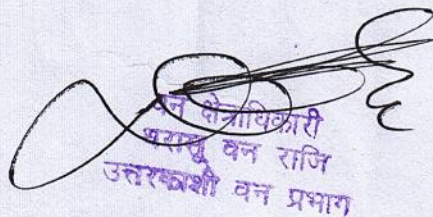
चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

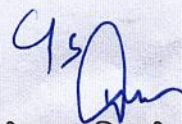
(96)

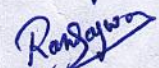
एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है की भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 एफ० सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन० पी वी के देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.4
3. एन पी वी की दर प्रति हे० - ₹ 8,45,000 /-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 5.566 हेक्ट.
5. कुल देय एन.पी.वी की धनराशि - ₹ 47,03,270 /-

  
वन क्षेत्राधिकारी  
धरासू वन राजि  
उत्तरकाशी वन प्रभाग

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग,  
उत्तरकाशी

CHECKED  
  
Draughts (वन)

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
धरासू उप वन प्रभाग  
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त इम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का वर्तमान दरों पर भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जमा करा दी जाएगी।

21/11/21  
21/3/21  
21/11/21

अधिसासी अभियन्ता  
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०  
बड़कोट, (उत्तरकाशी)